| | |
|---|---|
| 14/10/2025 | सील उपयुक्त लोपित। बहस तर्कना पत्र सुनी गई। अन्तिम निर्णय दिनांक 30/10/25 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर<br>(फास्ट ट्रेक), कपासन |
| 30/10/2025 | सील उपयुक्त लोपित। पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/11/2025 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर<br>(फास्ट ट्रेक), कपासन |
| 11/11/2025 | सील उपयुक्त लोपित। बहस तर्कना पत्र पूर्व में सुनी गई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि तर्कना पत्र कार्यालय आराजीयात में मूलीया आराजीयात मौरूसी आराजीयात है जिसके तर्कीगण का बेदखली हक दिलाया है। जिसके कारिशान की मान्य रीति बिना जलाशय के नाम पर खोल दिया। जिससे उक्त आराजीयात को कुछ नुकसान होने पर आशंका है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अतर्कीगण ने प्रश्न में उपरोक्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुये तर्कना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया। दोनों तर्कना पत्र व प्रस्तुत तर्कना पत्र का अवलोकन किया कि मैं बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया तालाब, कुंडिया खन्डुवन व अमूर्वीय भूमि तर्कीगण के पक्ष में लगता है। अतः ता० प० स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कुल पा० 31/2021 के निर्गत प्रकरण : 2500/2025 के निर्णय तक मौजा सेलिया प० ह० सेलिया की आ० सं० 86, 87, 375, 376, 377, 378 में अतर्कीगण द्वारा कब्जे की यथा स्थिति बनाये रखी जावे। केवल कुदरत मेहर कायम रहे। आदेश पूर्वापर।<br>सहायक कलक्टर<br>(फास्ट ट्रेक), कपासन |